राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-8558 /2007

राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक- 07.12.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री जे पी शर्मा, अधिवक्ता- अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से ।

श्री एस एन गुप्ता, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

--

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-निगरानीकर्ता ने जाहिर किया कि वे इस जमानत पार्थना पत्र को प्रत्याहृत करते हैं, जिसकी उन्हें अनुमति दी जाती है।

अत: अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तत यह तृतीय जमानत का प्रार्थना पत्र प्रत्याहृत (Withdraw) किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)